नामांकन और मतदान करने के लिए तैयार हों

ELECTORAL COMMISSION
TE KAITIAKI TAKE KŌWHIRI

ROE47 A4 Hindi 04/2026

मतदान करने के लिए नामांकन क्यों करवाएँ?

अगर आप मतदान करने के लिए नामांकित हैं, तो आम चुनावों, स्थानीय चुनावों और जनमत-संग्रहों में आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। चुनाव आपको यह कहने का मौका देते हैं कि संसद या स्थानीय काउंसिल में आपके लिए कौन प्रतिनिधित्व करेगा और उन मुद्दों पर ध्यान देगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं।

मतदान करने के लिए नामांकन करवाकर सुनिश्चित करें कि आपकी आवाज़ सुनी जाए।

मतदान करने के लिए कौन नामांकन करवा सकता है?

आपको अपना नामांकन करवाना चाहिए, अगर:

- **आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, और**
- **आप न्यूज़ीलैंड के नागरिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए निवासी हैं, और**
- **आप अपने जीवन में कभी भी लगातार 12 महीने या उससे अधिक समय के लिए न्यूज़ीलैंड में रहे हैं।**

यदि आप न्यूज़ीलैंड में कानूनी तौर पर निवास कर रहे है और आपको निर्दिष्ट कालावधि के भीतर देश छोड़ कर जाने की आवश्यकता नहीं है तो आप चुनावी उद्देश्यों के लिए एक निवासी है। इसमें रेज़ीडेंट वीज़ा पर रहने वाले लोग शामिल हैं।

यदि आप ऑस्ट्रेलियाई, नियुआन, टोकेलाउअन या कुक आइलैंडर हैं, तो आप नामांकन कर सकते हैं यदि आप लगातार 12 महीने या उससे अधिक समय से न्यूज़ीलैंड में रह रहे हैं।

अगर आप विदेश में रहते हैं, तो आप मतदान करने के लिए नामांकन करवा सकते हैं, अगर आप:

- **आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है, और**
- **आप अपने जीवनकाल में कभी भी न्यूज़ीलैंड में लगातार एक साल से अधिक समय तक रहे हैं, और**
- **आप या तो: न्यूज़ीलैंड के नागरिक हैं और पिछले 3 वर्षों के भीतर न्यूज़ीलैंड में रहे हैं, या चुनावी उद्देश्यों के लिए निवासी हैं और पिछले 12 महीनों के भीतर न्यूज़ीलैंड में रहे हैं।**

आपकी उम्र 17 वर्ष की हो जाने पर आप नामांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

जब आप 18 साल के हो जाएंगे, तो आपका नामांकन अपने आप हो जाएगा और आप मतदान करने के लिए तैयार हो जाएँगे।

अगर आप माओरी हैं, तो मतदान करने के लिए नामांकन कैसे करवाएँ

अगर आप माओरी वंश से हैं और पहली बार नामांकन कर रहे हैं, तो आप चुन सकते हैं कि आप किस मतदाता सूची में शामिल होंगे: माओरी सूची या सामान्य सूची।

आपकी चुनी हुई सूची यह तय करती है कि:

- आप किस मतदाता क्षेत्र में मतदान करते हैं
- आप किन उम्मीदवारों में से चुन सकते हैं।

अगर आप पहले से ही नामांकित हैं, तो आप किसी भी समय अपनी सूची बदल सकते हैं, सिवाय:

- आम चुनाव या हर 3 साल में होने वाले स्थानीय चुनाव से पहले की 3 महीने की कालावधि में
- किसी संसदीय उप-चुनाव से पहले, अगर यह बदलाव आपको उस निर्वाचन क्षेत्र में ले जाएगा जहाँ उप-चुनाव हो रहे हैं।

आपका सूची चयन आपके लिए क्या मायने रखता है?

आम चुनाव में, अगर आप आम सूची चुनते हैं, तो आप आम निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे। अगर आप माओरी सूची चुनते हैं, तो आप माओरी निर्वाचन समूह के उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे। आपका नाम जिस सूची में है, आप उसी सूची के राजनीतिक दलों के लिए मतदान कर सकते हैं।

निर्वाचन-क्षेत्र है, तो आप माओरी वार्ड या निर्वाचन-क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे। अगर आप सामान्य मतदाता सूची का चयन करते हैं, तो आप सामान्य वार्ड या निर्वाचन-क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे।

क्या अपनी निजी सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं?

अगर आपको अपनी निजी सुरक्षा या अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में चिंता है, तो आप गोपनीय अप्रकाशित सूची पर रखे जाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम आपके नामांकन के विवरण सुरक्षित रखेंगे और उन्हें किसी को भी नहीं देंगे। यदि आप अप्रकाशित मतदाता सूची में हैं, तो आपका विवरण मुद्रित मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा और आप अपने विवरण की ऑनलाइन जांच या उसे अपडेट नहीं कर पाएंगे।

जब आप मतदान करेंगे तो आपको जहां आप मतदान करने के लिए नामांकित हैं उस मतदान क्षेत्र की पुष्टि करने के लिए एक विशेष मतदान पूरा करना होगा और अपने मतदान पत्र के साथ एक अतिरिक्त फॉर्म भरना होगा। अधिक जानकारी और एप्लिकेशन फ़ॉर्म के लिए, **vote.nz** पर जाएँ या **0800 36 76 56** पर कॉल करें।

मैं अपना नामांकन कैसे कर सकता/ती हूँ?

नामांकन करना या अपने विवरण अपडेट करना आसान है। आप चाहें तो:

- अपने न्यूज़ीलैंड ड्राइवर लाइसेंस, न्यूज़ीलैंड पासपोर्ट या RealMe सत्यापित पहचान का उपयोग करके **vote.nz** पर ऑनलाइन नामांकन करें
- **0800 36 76 56** पर मुफ़्त में कॉल करके अपने लिए एक नामांकन फ़ॉर्म भेजने के लिए कह सकते हैं।

जब आप फ़ॉर्म को भर लें, तो उस पर हस्ताक्षर करें और हमें लौटा दें। नामांकन के बाद, आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा। मतदाता सूची उन लोगों की एक सूची है जो चुनाव में मतदान कर सकते हैं। मतदान करने के लिए, मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए।

जब-जब आप अपना निवास स्थान बदलते हैं, तब-तब आपको अपना विवरण अपडेट करने की ज़रूरत होती है।

सुनिश्चित करें कि हमारे पास आपका ईमेल पता और आपका मोबाइल नंबर है ताकि हम नामांकन और मतदान के बारे में आपसे संपर्क कर सकें।

जब आप पहली बार नामांकन करते हैं या अपना कोई विवरण अपडेट करते हैं, तो हम यह जांचने के लिए आपको एक पत्र या ईमेल भेजेंगे कि आपका विवरण सही है।

क्या नामांकन करवाने में मदद चाहिए?

आप अपने किसी जानने वाले, जैसे कोई दोस्त या परिवार के सदस्य से अपना नामांकन फ़ॉर्म पूरा करने में मदद करने के लिए, या आपकी ओर से अपना फ़ॉर्म पूरा करने के लिए कह सकते हैं।

आपको फ़ॉर्म पर हस्ताक्षर करने की ज़रूरत होती है।

अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण न तो अपना नामांकन फ़ॉर्म भर सकता है और न ही उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, तो हो सकता है कि आप उसकी मदद कर पाएँ।

क्या आपको और जानकारी चाहिए?

नामांकन और मतदान करने के बारे में अधिक जानकारी के लिए:

- **vote.nz** पर जाएँ
- **0800 36 76 56** पर कॉल करें

नामांकन करने और मतदान करने के बारे में जानकारी **vote.nz** पर बहुत सी भाषाओं और वैकल्पिक फ़ॉर्मेट्स (प्रारूपों) में उपलब्ध है।

ELECTORAL COMMISSION
TE KAITIAKI TAKE KŌWHIRI